राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : अंकित कुमार सिंह (आई.ए.एस)

प्रकरण सख्या :–122/2025 दायर दिनांक :–19.05.2025

जीसीएमएस नं.–2025/138 निर्णय दिनांक :–16.07.2025

राज्य सरकार जरिये श्री विपीन जैन, प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय, डूंगरपुर

–प्रार्थी

वनाम

1. अधिकृत डीलर, श्री शैलेष कुमार ननोमा, एफपीएस सेन्टर धामोद, तहसील–बिछीवाडा
2. श्री रोशनलाल पुत्र श्री भंवरलाल जैन, निवासी–अजवरा तहसील–सराडा जिला–उदयपुर

–विपक्षीगण

उपस्थित :–

1. विभागीय प्रतिनिधि, जिला रसद कार्यालय, डूंगरपुर
2. श्री प्रवीण शुक्ला, अधिवक्ता, विपक्षी संख्या–1
3. श्री संजीव भटनागर, अधिवक्ता विपक्षी संख्या–2

प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए (1) (ii) के तहत्

–:: निर्णय ::–

प्रकरण में संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 03.05.2025 को पिकअप संख्या RJ27GC5662 थानाधिकारी, पुलिस थाना बिछीवाडा द्वारा ग्राम धामोद के ग्रामीणों की शिकायत पर पिकअप में राशन का गेहूं ग्राम पंचायत धामोद की उचित मूल्य दुकान से डीलर शेलेष कुमार ननोमा द्वारा भरवाकर गेहूं की कालाबाजारी करते हुए पकड़ा गया है। वक्त जांच पुलिस थाना बिछीवाडा पर डिटेन की गई पिकअप संख्या RJ27GC5662 का भौतिक सत्यापन करने पर पिकअप में 5 कट्टे एफसीआई मार्क के सील पेक वजन 50 कि.ग्रा. प्रति बेग कुल 250 कि.ग्रा. गेहूं संग्रहित पाये गये। मौके पर उपस्थित पिकअप के ड्राईवर (मोटर मालिक) श्री रोशनलाल जैन से पूछताछ करने पर बताया की उसका पेशा खाली बारदाना खरीदने बेचने का है। दिनांक 03.05.2025 को ग्राम पंचायत धामोद की उचित मूल्य दुकान, डीलर शेलेष कुमार ननोमा से 20 रू. प्रति किलो की दर से 5000/–रू. भुगतान कर खरीद किए है। वक्त जांच पुलिस थाने पर उपस्थित अधिकृत डीलर शेलेष कुमार ननोमा ने भी गेहूं बेचान करना स्वीकार किया। अधिकृत डीलर द्वारा जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो की अवहेलना पाये जाने से मौके पर पिकअप संख्या RJ27GC5662 मय 5 बेग सील पेक एफसीआई मार्क के गेहूं वजन 250 कि.ग्रा. सीज कर कब्जे राज लिया जाकर गेहूं की सुपुर्दगी श्री कृष्णकांत पिता गोतमलाल निवासी–छापी (डीलर पुत्र) को की गई जिसका सुपुर्दगीनामा अलग से लिखाया गया एवं खाली पिकअप थानाधिकारी पुलिस थाना बिछीवाडा की अभिरक्षा में लिखित तहरीर दी जाकर सुपुर्द की गई। मौके पर उपस्थित ग्रामीणों एवं अधिकृत डीलर शेलेष कुमार ननोमा को हमराह प्रवर्तन निरीक्षक हिमांशु डामोर के एफपीएस सेन्टर धमोद की उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण करने पहुंचे जिस पर उचित मूल्य दुकान का दिनांक 03.05.2025 को पोर्टल पर अंकित पोस मशीन संख्या का अवशेष स्टॉक 81696.850 कि.ग्रा. रिकार्ड अनुसार पाया। गोदाम का भौतिक सत्यापन करने पर गोदाम में 136 कट्टे सील पेक पाये गये जिसमें 68 क्विं. गेहूं ही स्टॉक में पाया। इस प्रकार भौतिक सत्यापन पर 74896.50 कि.ग्रा. गेहूं कम पाया गया। अतः जब्तशुदा 250 कि.ग्रा. गेहूं (5 बेग) एफसीआई मार्क के मय पिकअप संख्या RJ27GC5662 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए (1) (ii) के तहत राजसात करने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण के विरूद्व जवाब देही नोटिस जारी किये गये। अधिवक्ता विपक्षीगण संख्या 2 कि ओर से जवाब प्रस्तुत किया कि वह बारदान का व्यवसाय करता है तथा बारदान व्यवसाय के लिए उसके पास अपने स्वयं के स्वामित्व का वाहन पीकअप RJ27GC5662 का विधिपूर्वक इस्तेमाल करता है। उक्त प्रकरण मे विपक्षीगण सं. 2 को अपने वाहन मे पाच कट्टे गेहु परिवहन करने हेतु अभियुक्त बनाया गया है। विपक्षी उक्त गेहु काश्तकार से क्रय कर अपने वाहन मे लेकर जा रहा था । विपक्षी बारदान का व्यवसाय करता है एवं काश्तकारो द्वारा गेहु बारदानो मे भरने हेतु विपक्षी को दिया जाता है। विपक्षी द्वारा गेहु की काला बजारी या अन्य किसी तरीके से लाभ कमाने की नियत से नहीं लाया गया था और नाही ऐसी कोई शादत हैं। प्रकरण में वर्तमान में अनुसंधान किया जा रहा हैं, ऐसी परिस्थीति में अनुसंधान के लम्बित रहते धारा 6 ए में अन्तिम आदेश दिया जाना उचित नहीं होकर अनुसंधान के पश्चात न्यायालय के निर्णय अनुसार ही धारा 6 ए में आदेश दिया जाना उचित व न्यायोचित हैं। वक्त धटना विपक्षी सं.2 गेहु को काश्तकार से क्रय कर स्वयं के उपयोग हेतु स्वयं के वाहन मे परिवहन कर रहा था । इसमें किसी प्रकार दुरउपयोग नहीं किया जा रहा था। गेहु जिन बारदानो मे पाये गये थे वह बारदान वर्ष 2024–25 के ना होकर पुराने वर्ष 2022–23 के है जिससे भी यह साबित है कि पुराने बारदानो मे काश्तकार से गेहु लाकर विधिपुर्वक परिवहन किया जा रहा था। प्रार्थी व प्रार्थी का पुरा परिवार जप्त वाहन की आय पर निर्भर है वाहन को लम्बे समय तक जप्त रखा गया तो प्रार्थी व उसका परिवार भुखा मारा जायेगा तथा वाहन खुले मे पडे रहने से खराब होने की सम्भावना है। विपक्षी सं.2 न्यायालय के आदेशानुसार न्यायालय के संतोषप्रद जमानत व

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

सुपूर्दगी नामा पेश करने तैयार है। अतः जवाब पेश कर निवेदन हैं कि विपक्षी की बदनियती या अपराधिक कृत्य नहीं होने से गेहु के सम्बन्ध में धारा 6 ए ई.सी. एक्ट की कार्यवाही निरस्त करने का आदेश प्रदान किया जाय एवं वाहन को जमानत पर सुपूर्दगी नामे पर रिहा किया जावे। विपक्षीगण सं. 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत न कर बहस करने हेतु निवेदन किया।

उभयपक्षो की बहस समायत की गई। विपक्षी सं. 2 के योग्य अधिवक्ता द्वारा अपने जवाव को दौहराते हुए कथन किया कि विपक्षी के प्रकरण में वर्तमान में अनुसंधान किया जा रहा है, अनुसंधान पश्चात न्यायालय के निर्णय अनुसार ही आदेश दिया जाना न्यायोचित होने तथा विपक्षी सं. 2 का पुरा परिवार जप्त वाहन की आय पर निर्भर है वाहन को लम्बे समय तक जप्त रखा गया तो प्रार्थी व उसका परिवार भुखा मारा जायेगा तथा वाहन खुले मे पडे रहने से खराब होने की सम्भावना है। अतः वाहन को जमानत सुपूर्दगी नामे पर रिहा किये जावे। विपक्षी सं. 1 के योग्य अधिवक्ता द्वारा मामले में अनुसंधान जारी होना बताया। विभागीय प्रतिनिधि द्वारा अपने प्रस्तुत प्रार्थना में अंकित तथ्यो को दौहराते हुए मौके पर पिकअप वाहन संख्या RJ27GC5662 में 5 कट्टे एफसीआई मार्क के सील पेक वजन 50 कि.ग्रा. प्रति बेग कुल 250 कि.ग्रा. गेहूं संग्रहित पाये गये। मौके पर उपस्थित पिकअप के ड्राईवर (मोटर मालिक) श्री रोशनलाल जैन से पूछताछ करने पर बताया की दिनांक 03.05.2025 को ग्राम पंचायत धामोद की उचित मूल्य दुकान के डीलर शेलेष कुमार ननोमा से 20 रू. प्रति किलो की दर से 5000/—रू. भुगतान कर गेहूं खरीद किए है, जिसे अधिकृत डीलर शेलेष कुमार ननोमा ने भी गेहूं बेचान करना स्वीकार किया।

मेरे द्वारा प्रस्तुत बहस के क्रम में पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। विभागीय प्रतिनिधि के प्रार्थना पत्र एवं कथनो के अनुसार डीलर श्री शेलेष कुमार ननोमा द्वारा जब्तशुदा 250 कि.ग्रा. गेहूं (5 बेग) को बेचान करना स्वीकार किया है, जो अवैध है। अतः उक्त जप्तशुदा गेहूं राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी, डूंगरपुर इनके नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही करे। तथा पिकअप वाहन संख्या RJ27GC5662 प्रकरण में आवश्यकता नही होने पर एवं तलबी पर पेश करने की शर्त पर रूपये 6,00000/ लाख की तस्दीकशुदा जमानत पेश करने पर रिलिज किया जाने का आदेश दिया जाता है। थानाधिकारी बिछीवाडा को नियमानुसार वाहन विपक्षी सं. 2 को सुपुर्द करे। आदेश की प्रमाणित प्रति थानाधिकारी पुलिस थाना, बिछीवाडा एव जिला रसद्व अधिकारी, डूंगरपुर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(अंकित कुमार सिंह),
जिला कलक्टर,
डूंगरपुर

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)